



# भारत का राजपत्र

## The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 214]

नई दिल्ली, मंगलवार, मार्च 29, 2016/चैत्र 9, 1938

No. 214]

NEW DELHI, TUESDAY, MARCH 29, 2016/CHAITRA 9, 1938

गृह मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 29 मार्च, 2016

सा.का.नि. 361(अ).—नई दिल्ली नगर पालिका परिषद अधिनियम, 1994 (1994 का 44), की धारा 253 की उप-धारा (1) और (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केंद्र सरकार, एतद्वारा, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली को भू-भागोय सीमाओं के भीतर नई दिल्ली नगर पालिका परिषद अधिनियम, 1994 की धारा 247 या 254, के अंतर्गत अधिमत अपीलों का निर्णय करने के लिए अपील अधिकरण का गठन करती है तथा श्री संजीव कुमार, दिल्ली उच्चतर न्यायिक सेवा के अधिकारी को इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से उक्त अधिकरण का पीठासीन अधिकारी नियुक्त करती है।

[फा. सं. 14011/38/2014-दिल्ली-II]

हितेश कुमार स. मकवाना, संयुक्त सचिव

### MINISTRY OF HOME AFFAIRS

#### NOTIFICATION

New Delhi, the 29th March, 2016

G. S.R. 361(E).—In exercise of powers conferred by Sub-section (1) and (2) of Section 253 of the New Delhi Municipal Council Act, 1994 (44 of 1994), the Central Government hereby constitutes the Appellate Tribunal for deciding appeals preferred under Section 247 or Section 254 of the New Delhi Municipal Council Act, 1994, within the territorial limits of the National Capital Territory of Delhi and appoints Sh. Sanjeev Kumar, an officer of Delhi Higher Judicial Service, as the Presiding Officer of the said Tribunal, with effect from the date of publication of this notification.

[F. No. 14011/38/2014-Delhi-II]

HITESH KUMAR MAKWANA, Jt. Secy.